कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान–बीकानेर

1588
12-4-19

क्रमांकः– शिविरा/माध्य/साप्र/रासेयो/बजट 49604/2018–19

दिनांक : 12/4/19

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय,
माध्यमिक शिक्षा-

विषय – वित्तिय वर्ष 2018–19 के एनएसएस संचालित विद्यालयों को राशि अंतरण करने एवं गलत अन्तरित राशि वाले विद्यालयों से राशि वापस लौटाने बबात।

राष्ट्रीय सेवा योजना प्लस दो स्तर के नियमित कार्यक्रम एवं विशेष शिविर हेतु वर्ष 2018–19 की धनराशि नियमित गतिविधियों हेतु रुपए 22500/– तथा विशेष शिविर हेतु 22500/– कुल रुपए 45000/– तथा चयनित विद्यालयों में जहां सत्र 2018–19 में 50 स्वयं सेवकों की यूनिट प्रारंभ की गई है उन चयनित विद्यालयों को नियमित गतिविधियों हेतु रुपए 11250/– तथा विशेष शिविर हेतु 11250/– कुल रुपए 22500/– रुपये जरिये पीएफएमएस संबंधित विद्यालयों के बैंक खातों में जमा करवाए जा चुके हैं। आपके कार्यालय/विद्यालय स्तर पर पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर रजिस्ट्रर्ड समस्त राष्ट्रीय सेवा संचालित विद्यालयों को राशि का अंतरण संलग्न सूची अनुसार किया जा चुका है।

निम्न बिन्दुओं को ध्यान रखते हुए संबंधित विद्यालयों से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर संकलित एवं समेकित कर भिजवावें –:

1. उक्त राशि का समायोजन केवल वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए ही किया जावे।
2. विभाग द्वारा पूर्व में निर्देशित प्रपत्रों में रासेयो के कार्यक्रमों हेतु कार्यक्रम अधिकारी द्वारा अग्रिम निदेशालय द्वारा बजट अनुदान राशि छात्रकोष से उधार लेकर ही व्यय करने के निर्देश दिए हुए हैं रासेयो योजना के अन्तर्गत धन राशि प्राप्त होने पर पुनः छात्रकोष में राशि समायोजित करने का प्रावधान है। इसकी तत्काल कार्यवाही की जावे।
3. जिन विद्यालयों द्वारा विशेष शिविर का आयोजन नहीं किया गया है वे उक्त राशि का किसी भी प्रकार का समायोजन नहीं करेंगे।
4. जिन विद्यालयों को भूलवश अधिक अथवा दोहरी राशि स्थांतरित हो चुकी है वे इसकी सूचना तत्काल निदेशालय को उपलब्ध करवाते हुए राशि पुनः निदेशालय को लोटाने की व्यवस्था करेंगे।
5. राशि पुनः पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से ही लौटाई जानी है। तकनीकी सहायता के लिए पोर्टल पर हैल्पलाईन नंबर उपलब्ध है। पेमेन्ट लोटाने के पश्चात् पीएफएमएस पोर्टल का पेमेन्ट एडवाईजरी नंबर अथवा बैंक में दिए जाने वाले पीएफएमएस पोर्टल से निकलने चालान की छायाप्रति के साथ विद्यालयवार सूचना अद्योहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करावें।
6. सूचना भिजवाने में विद्यालय का क्रम वही रखा जावे जो संलग्न सूची में दिया गया है। सूचना दो प्रति (एक प्रति .exl फाईल में तथा दुसरी प्रति हस्ताक्षरित .pdf फाईल में) आपके अधीन जिलों से संकलित एवं समेकित कर जरिये E-mail nss.schooleducation@gmail.com **18 अप्रेल 2019** तक भिजवाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :-
(1) विद्यालयों की सूची एवं सूचना प्रपत्र

www.rajteachers.com

उप निदेशक (प्रशासन) एवं
कार्यक्रम समन्वयक, रासेयो +2 स्तर,
निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

Bablu\Badm Nss\Budget 49604 2017-18 (11-4-19).Docx

कार्यालय जिला शिक्षा अधि०, मुख्यालय (मा०), बारां
क्रमांक – 893
समस्त प्रधानाचार्य, जिला बारां
दिनांक 12.4.19

मूल पत्र भेजकर लेख है कि विद्यालयों की संलग्न सूची के अनुसार व पत्र के दिशानिर्देशानुसार पालना सुनिश्चित करें।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
स्कूल शिक्षा, बारां